

जी लदी प्रवेष्टा ६२१

27-2-18 जा ५६७७

12/11

27-2-18

न्यायालयश्रीमान् राजस्व मण्डल बचा लियर केम्प कोर्ट, भोपाल १ मप्र

PBR/किगमानी/होशंगाबाद/भू.२/2018/1747

- ११ महेशचन्द्र गुप्ता पुत्र स्व० जमना प्रसाद गुप्ता, उम्र 70 वर्ष करीब
 - १२ उर्मिला बाई पुत्री स्व० जमना प्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग 66 वर्ष
 - १३ गीता गुप्ता पुत्री स्व० जमना प्रसाद गुप्ता पत्नी श्री पुरुषोत्तम गुप्ता उम्र करीब 60 वर्ष,
- सभी निवासी- वार्ड क्र- 1, पुरानी इटारसी, तहसील इटारसी,
जिला- होशंगाबाद मप्र

पुनरीक्षा कर्ता गिण्टा

बनाम

- ११ सतीश कुमार गुप्ता पुत्र सालिगराम गुप्ता उम्र 70 वर्ष
- १२ सतीश कुमार पुत्र स्व० सालिगराम, उम्र लगभग 63 वर्ष
- १३ शरदकुमार गुप्ता पुत्र स्व० सालिगराम गुप्ता, उम्र 60 वर्ष
- १४ देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व० सालिगराम, उम्र लगभग 53 वर्ष
- १५ पित्राबाई पुत्री स्व० सालिगराम पत्नी लवकुमार गुप्ता उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी-बंदूक वाले की दुकान, गाजरपट्टी, रायगढ़, जिला- रायगढ़ छत्तीसगढ़

सभी निवासी प्रभात नर्सरी, पवा खेड़ा, तहसील व जिला होशंगाबाद मप्र

- १६ रेखाबाई पुत्री स्व० सालिगराम, उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी- प्रभात नर्सरी, पवा खेड़ा, तहसील व जिला- होशंगाबाद मप्र

- १७ प्रभावती गुप्ता पुत्री भगूलाल गुप्ता, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी- गुप्ता पटाछा भण्डार के सामने, काण्डली रोड, परतवाड़ा, तहसील अचलपुर, जिला- अमरावती महाराष्ट्र ---उत्तरवादी गिण्टा

पुनरीक्षा या चिका या चिका अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षा कर्ता गिण्टा की ओर से निम्न निवेदन है :-

अविरत --- 28

C.G. C. Gupta उ० उर्मिला गुप्ता गीता गुप्ता

ज 14 रत --- 28

- 2-

पुनरीक्षाकर्तागण अधिसूचना न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
श्री राजस्व इटारसी, जिला- होशंगाबाद मपू के राजस्व प्रकरण क्रमांक 63/
अ-27/वर्ष 2012-13 ग्राम कीरतपुर, जिसमें पक्षकार शरदकुमार बघैरह विरुद्ध
संतोष कुमार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 17-1-2018 से क्षुब्ध एवं
दुखित होकर निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की है :-




न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/2017/1747

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-10-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री संदीप दुबे तथा अनावेदक क्रमांक 1, 2, 4 लगायत 6 की ओर से श्री जी0डी0अग्रवाल अधिवक्ता एवं श्री अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से श्री राजेश चौरे अधिवक्ता व अनावेदक क्रमांक 7 की ओर से श्री सतीश चौहान उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो ।</p>	


श्री 32


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

(Faint text)

1/4